गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act. 2009 NO 25 of 2009)

Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क्र. 201/अका./शोध/अर्थ शास्त्र/2019 — बिलासपुर, दिनांक 24

प्रति, — (पंजीकृत डाक द्वारा)

Thakur Ram Ratre (Research Scholar)
Department of Economics
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Bilaspur (C.G.)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनिमय, 2009 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पुनः पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 29–05–2019 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) **अर्थशास्त्र** अध्ययनशाला – **समाजिक विज्ञान** में आपका पुनः पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है–

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
AN ANALYTICAL STUDY OF INCOME AND EMPLOYMENT OF THE WORKING LABOUR FORCE IN UNORGANIZED SECTOR (WITH REFERENCE TO URBAN AREA OF BILASPUR DISTRCT IN CHHATTISGARH STATE)		Dr.Seraphinus Kispotta (Assistant Professor) Department of Economics Guru Ghasidas Vishwvidyalaya Bilaspur (C.G.)	
शोध केन्द्र	पंजीयन क्रमॉक	पुनः पंजीयन तिथि	नामाकन क्रमॉक
अर्थशास्त्र विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	105181506	29-05-2019	PhD/EC/1145

1. आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2009 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्य करेंगे। उक्त अध्यादेश/विनियम को कडिका–10 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध–पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व आठ प्रतियां में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

क्रमशः

2. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण / प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000 / – विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।

3. शोध पंजीयन तिथि से प्रति सेमेस्टर (छहमाही) छात्र को शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन, उपस्थिति का लेखा के साथ शोध निर्देशक से अनुशंसित सेमेस्टर समाप्त होने के सात दिवस के भीतर शोध ग्रंथ जमा करने तक जमा करना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर का प्रगति प्रतिवेदन संतोषजनक पाये जाने पर ही शोधार्थी के पंजीयन का नवीनीकरण होगा।

4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोधग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छहमाही प्रगति प्रतिवदेन एवं शोधग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव (अका.)

बिलासपुर, दिनॉक————

कमांक 202 / अका0 / शोध / अर्थशास्त्र / 2019

प्रतिलिपि:–

1. शोध निर्देशक–डॉ0 एस.किस्पोट्टा, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश / विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्रा का प्रत्येक सेमेस्टर छहमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करे। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नही किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष,अर्थशास्त्र विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग.)की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती प्रति।

1557/1583
25/7/19

सहा. कुलसचिव (अका.)
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)